भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 06/20/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 30 जून, 2025

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 17/2025

विषय : इंडोनेशिया से वर्जिन मल्टी लेयर पेपर बोर्ड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 06/20/2025-डीजीटीआर: इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे ''आवेदक'' अथवा ''आईएमपीए'' भी कहा गया है) ने यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे ''एडी नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष इंडोनेशिया (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

1. विचाराधीन उत्पाद सफेद/वर्जिन वुड पल्प से बना मल्टी-लेयर बोर्ड है, चाहे वह कोटेड हो या अनकोटेड, और इसे वर्जिन मल्टी-लेयर पेपरबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद पेपर के अनेक परतों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है । विचाराधीन उत्पाद पेड़ों के रेशों से पल्प द्वारा निर्मित होता है । विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में आता है और इसमें फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी), सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड (एसबीएस), कप स्टॉक पेपर या बोर्ड और लिक्विड पैकेजिंग बोर्ड शामिल हैं, जो 140 से 450 जीएसएम की रेंज में होते हैं। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, पेड़ों के फाइबर से निर्मित वर्जिन ग्रेड और प्राप्त कागज तथा पेपरबोर्ड से मिले फाइबर से निर्मित रिसाइकल ग्रेड । पुनर्नवीनीकृत/भूरे रंग के गूदे या फाइबर से बने लेपित/बिना लेपित सिगरेट बोर्ड और पेपरबोर्ड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

2. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग भेषजों, एफएमसीजी उत्पादों, खाद्य एवं पेय, इलेक्ट्रॉनिक्स, महंगे कॉस्मेटिक्स और लिकर की पैकेजिंग में तथा पुस्तकों के कवर, प्रकाशन आदि में होता है।

3. सॉलिड ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड में (एसबीएस) पेपरबोर्ड ब्लीच्ड वर्जिन पल्प से निर्मित उच्च गुणवत्ता वाला पेपरबोर्ड होता है, जिसे क्ले से कोटित किया जाता है और उसके बाद नमी से प्रतिरोध को सुनिश्चित करने के लिए उपचारित किया जाता है। फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड (एफबीबी) रासायनिक पल्प की बाहरी परतों के बीच मकेनिकल पल्प की एक आंतरिक परत से बना होता है। फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड में प्रभावी प्रिंटिंग सतह प्रदान करने के लिए एक ब्लीच्ड टॉप लेयर शामिल होती है जिसे ब्रोशर, प्लायर और प्रदर्शन बॉक्सों के रूप में प्रयोग किया जाता है । कप स्टॉक ग्रेड का प्रयोग खाद्य पदार्थों के लिए डिस्पोजेबल कप और कप के आकार के कंटेनर के विनिर्माण में किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्राय: संगत सुरक्षा विनियमों का अनुपालन अपेक्षित होता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 48 के अंतर्गत शीर्ष 4805 और 4810 के तहत आईटीसी एचएस कोड 4805 91 00, 4805 92

00, 4805 93 00, 4810 92 00 और 4810 99 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं को अनेक एच एस कोडों के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है जिनमें 4802 20 90, 4802 57 90, 4804 19 00, 4804 39 00, 4804 42 00, 4804 52 00, 4804 59 00, 4805 19 00, 4810 13 20, 4810 13 30, 4810 13 90, 4810 14 30, 4810 14 90, 4810 19 10, 4810 19 90, 4810 22 00, 4810 29 00, 4810 31 00, 4810 32 00, 4810 39 90, 4811 51 10, 4811 51 90, 4811 59 10, 4811 59 90, 4811 90 99, 4819 10 10, 4819 20 90 शामिल हैं । सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पी.सी.एन. का प्रस्ताव किया है।

क्र. सं.	**उत्पाद का प्रकार**	**कोड**
1.	ठोस ब्लीच्ड सल्फेट बोर्ड	एसबीएस
2.	दो तरफ से लेपित बोर्ड / आर्टबोर्ड	एटीबी
3.	फोल्डिंग बॉक्स बोर्ड	एफबीबी
4.	कप स्टॉक	ग्राहकों
5.	तरल पैकेजिंग बोर्ड	एलपीबी
6.	अन्य	अन्य संगठनों

6. वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से से 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन, यदि कोई हो, के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. बद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु में संबद्ध देश से आयातित संबद्ध

वस्तु के तकनीकी विनिर्देशों, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन और टैरिफ वर्गीकरण के दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं ।ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। अतः, वर्तमान जाँच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित संबद्धत वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

8. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच की शुरूआत का अनुरोध करते हुए आवेदन के भाग के रूप में सूचना प्रदान की है।

क. इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड

ख. आईटीसी लिमिटेड

ग. जेके पेपर लिमिटेड

9. तत्पश्चात, निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच के लिए संपूर्ण क्षति और लागत संबंधी सूचना प्रस्तुत की है। उक्त घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने का अनुरोध किया है ।

क. आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड

ख. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड

10. आवेदक घरेलू उत्पादक के अलावा, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड एक अन्य घरेलू उत्पादक है, जिसने आवेदन के समर्थन में पत्र प्रस्तुत किया है ।

11. घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर, निम्नलिखित को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना गया है (इन्हें आगे "आवेदक घरेलू उत्पादक" कहा गया है।

क. इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड

ख. आईटीसी लिमिटेड

ग. जेके पेपर लिमिटेड

घ. आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट लिमिटेड

ड. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड

12. यह अनुरोध किया गया है कि आवेदक घरेलू उत्पादक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, यह बताया गया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

13. उक्त के मद्देनजर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है । अत: आवेदक घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

14. यह आवेदन इंडोनेशिया गणराज्य ("इंडोनेशिया") से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

15. आवेदक ने जांच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 का जांच अवधि के रूप में प्रस्ताव किया है। हालांकि, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि) मानी है। क्षति जांच अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने दावा किया है कि उसके पास इंडोनेशिया में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत संबंधी सूचना की पहुँच नहीं है। क्योंकि इस उत्पाद के लिए कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है, इसलिए आवेदक संबद्ध देश में आयातों या संबद्ध देश से निर्यातों की कीमत पर भरोसा नहीं कर सकता। इसके अलावा, संबद्ध देश में उत्पादन की लागत संबंधी सूचना घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं थी।

17. जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत के आधार पर अनुमानित इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है, और उसे तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य की पद्धति पर जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

18. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम के आंकड़ों में यथा प्रदत्त सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन और संभलाई व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, के कारण मूल्य समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया सिद्ध करती है कि इंडोनेशिया से आयातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. विभिन्न मापदंडों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । संबद्ध देश से आयातों में समग्र तथा सापेक्ष रूप से भारी वृद्धि हुई है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है । संबद्ध आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है । इससे लाभप्रदता के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के लाभ और नकद लाभ में क्षति अवधि में भारी गिरावट आई है और उसे नियोजित पूंजी पर कम आय मिली है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हेने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायसंगत ठहराते हैं।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी से संबंधित प्रथम दृष्टया साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

22. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में प्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in. पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

24. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अगोपनीय अंश को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिचालित या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को

प्रेषित किए जाने की तारीख से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

31. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

32. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो और/या ऐसी अन्य सूचना जिसके सूचना प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से

गोपनीयता के दावे वाली सूचना के सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई, जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है ।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

36. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना के संगत पैराग्राफ के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से सात दिन (7 दिनों) के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

37. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश ई-मेल के जरिए भेज दें। अनुरोध/ उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी